

राजस्थान सरकार
गृह (गुप-10) विभाग

क्रमांक : प. 18(3) गृह-10/2016


जयपुर, दिनांक 18.11.2021

आज्ञा

राजस्थान अभियोजन सेवा नियम 1978 के नियम 9 के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 की रिक्तियों के लिए पदोन्नति देने हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिरक्षा पर राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नलिखित अभियोजन अधिकारियों को सहायक निदेशक अभियोजन के अस्थाई पदों पर वेतन श्रृंखला (15600-39100) ग्रेड पे-(16) 6000/- **Pay Matrix L-15 in Revised Pay Rules 2017** में राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान नियम 1998) में पदोन्नत कर नियुक्त किया जाता है। पदोन्नति का लाभ रिक्ति की दिनांक से एवं नकद लाभ उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा -


क्र.सं.	नाम अधिकारी	विशेष विवरण	पदोन्नति वर्ष	रिक्ति की दिनांक
1.	श्री सुशील कुमार चौहान	अनुसूचित जाति	2021-22	01.04.2021
2.	श्री जवाहर सिंह	अनुसूचित जाति	2021-22	01.04.2021
3.	श्री पवन कुमार वशिष्ठ	सामान्य वर्ग	2021-22	10.05.2021
4.	श्री अशोक कुमार कालड़ा	सामान्य वर्ग	2021-22	10.05.2021
5.	श्री महेन्द्र कुमार शांडिल्य	सामान्य वर्ग	2021-22	01.06.2021
6.	श्री गिरिश कुमार शर्मा	सामान्य वर्ग	2021-22	01.07.2021
7.	कुमारी शारदा	सामान्य वर्ग	2021-22	01.07.2021
8.	सुश्री विजया सेठी	सामान्य वर्ग	2021-22	01.07.2021
9.	श्री हंसराज रांकावत	सामान्य वर्ग	2021-22	01.08.2021
10.	कुमारी निर्लेप सक्सेना	सामान्य वर्ग	2021-22	01.08.2021
11.	सुश्री सुनीता यादव	सामान्य वर्ग	2021-22	01.08.2021
12.	सुश्री सुधारानी त्यागी	सामान्य वर्ग	2021-22	01.02.2022

उक्त अधिकारीगण के पदस्थापन आदेश अलग से जारी किये जायेंगे।

आज्ञा से

(केवल मिश्रा)
शासन सचिव, गृह (विधि)
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जयपुर।
3. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, गृह
5. निदेशक अभियोजन, राजस्थान, जयपुर को 20 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
6. संबंधित अधिकारीगण।
7. समस्त उप/सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
8. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली


28/11/2021
आसन सचिव, गृह (विधि)
राजस्थान, जयपुर